

## III

### बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

#### ::कार्यालय आदेश::

का0आ0-15/बि0स0से0-20-08/2016 सा0प्र0.154/पटना-15, दिनांक 23.05.17

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक 25.06.2003, 1802 दिनांक 23.03.2006 तथा संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक-390 दिनांक 31.01.2007 तथा संकल्प ज्ञापांक-7043, दिनांक 31.10.2008 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान-रू0 6500-10500/- पुनरीक्षित वेतन बैंड-रू0 9300-34800/- + ग्रेड वेतन-रू0 4800/- में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/वरीयता क्रमांक/विभाग का नाम	प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि
1	2	3
1	श्री विनोद कुमार विमल, सहायक, 260 (भाग-3) 05.11.1973 / 30.11.2033 मुख्यमंत्री सचिवालय	20.02.2016
2	श्री राजेश्वर प्रसाद रजक, प्रशाखा पदाधिकारी, 216 (भाग-3) 21.01.1973 / 31.01.2033 वित्त विभाग	04.10.2014
3	श्री संजय कुमार, सहायक, 26 (भाग-3) 04.08.1974 / 31.08.3034 आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ	09.11.2014
4	श्री राजीव कुमार, सहायक, 261 (भाग-3) 25.12.1969 / 31.12.2029 वित्त विभाग	10.03.2016
5	श्री बाल्मीकि कुमार, सहायक, 202 (भाग-3) 19.10.1972 / 31.10.1932 शिक्षा विभाग।	15.07.2014
6	मो० रियाजुल नबी, सहायक, 147 (भाग-3) 06.01.1966 / 31.01.2026 समाज कल्याण विभाग	04.10.2014
7	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, सहायक 249 (भाग-3) 01.06.1969 / 31.05.2029 आयुक्त कार्यालय, गया।	30.12.2015


8	श्रीमती अमिता कात, सहायक, 182 (भाग-3) 04.08.1971 / 31.08.2031 आयुक्त कार्यालय, गया।	04.10.2014
9	श्री उदय प्रताप, सहायक, 246 (भाग-3), 10.12.1966 / 31.12.2026 आयुक्त कार्यालय, गया।	30.12.2015
10	श्री विधानन्द जमादार, सहायक, 253 (भाग-3), 08.07.1965 / 31.07.2025 आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ।	30.12.2015
11	श्री राजेश्वर राज, सहायक 255 (भाग-3) 01.11.1964 / 31.10.2024 आयुक्त कार्यालय, छपरा	01.06.2016
12	श्रीमती उषा गोस्वामी, सहायक, 193 (भाग-3), 01.04.1974 / 31.03.2034 श्रम संसाधन विभाग	20.07.2014

2. सहायक संयुक्त सम्बर्ग के गठन के बाद उनके प्रशासी विभाग द्वारा की गयी सेवा सम्पुष्टि नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगे और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जाय।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 566 दिनांक 18.10.1995 निर्गत किये जाने के पश्चात सहायक संयुक्त सम्बर्ग के कर्मियों को उनके तत्कालीन प्रशासी विभाग द्वारा परीक्षा से विमुक्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगे और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग से विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी उक्त आदेश की सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा।

4. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम0 ए0 सी0 पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।




(एम0एस0अंसारी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-08/2016सा0प्र0...154...../पटना-15, दिनांक...23.05.2017

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-08/2016सा0प्र0.....154...../पटना-15, दिनांक.....23.05.2017

**प्रतिलिपि :-**संबंधित सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।



सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-08/2016सा0प्र0.....154...../पटना-15, दिनांक.....23.05.2017

**प्रतिलिपि :-**प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ विशेष सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा)/अवर सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा) तथा प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16 एवं 17 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव